अनुमंडल कार्यालय, बिहारशरीफ (नालन्दा)

(सामान्य शाखा)

पत्रांक ..../सामान्य

दिनांक ..../......../2023

☎ 06112-235210 (कार्या०)
☎ 06112235211 (आवास)
✉ sdo-biharsharif-bih@nic.in

प्रेषक,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बिहारशरीफ (नालन्दा)।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– **विकास मित्र के नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन काने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना द्वारा विकास मित्र के नियोजन हेतु नियमावली प्राप्त हुआ है जिसे सभी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से प्रचार–प्रसार के लिए संलग्न कर अग्रेतर कार्रवई हेतु भेजा जाता है।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बिहारशरीफ।

ज्ञापांक 41 / दिनांक 7/1/23

प्रतिलिपि :–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी बिहारशरीफ/हरनौत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अपने स्तर से विज्ञापन का व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, अस्थावाँ/ बिन्द/ नूरसराय/ सरमेरा/नुरसराय का सुचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला कल्याण पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर, नालन्दा को सूचनार्थ एवं निदेश है कि उक्त विज्ञापन को Nalanda Administration Portal पर प्रकाशित की जाय।

प्रतिलिपि :– जिला नियोजन पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त नालन्दा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– नगर निगम आयुक्त, बिहारशरीफ को सादर सूचनार्थ समर्पित। अनुरोध है कि विज्ञापन का सुचना पट्ट पर प्रकाशित करने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, नालन्दा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–... दिनांक– 20.04.2022 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

7/1/23

अनुमण्डल पदाधिकारी,
बिहारशरीफ।

कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ

विकास मित्रों के रिक्त पदों पर नियोजन

1. संबंधित प्रखण्ड / नगर निकाय में आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि — 17.01.2023 से 09.02.2023
2. मेधा सूची तैयार करने एवं प्रकाशन करने की तिथि — 20.02.2023
3. मेधासूची पर आपत्ति प्राप्त करने एवं निराकरण की तिथि — 20.02.2023 से 28.02.2023
4. चयन सूची के प्रकाशन की तिथि — 13.03.2023
5. नियोजन पत्र वितरण / शपथ ग्रहण उन्मुखीकरण कार्यक्रम — 20.03.2023

- **विकास मित्र का चयन:–**

महादलित समुदाय से ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में रिक्त वार्ड समूह (कलस्टर) पर एक विकास मित्र का चयन किया जायेगा। विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) वर्ष 2010 के सर्वेक्षण के आधार पर जिस महादलित जाति के जनसंख्या की बहुलता होगी उसी जाति से विकास मित्र का चयन किया जायेगा।

1. **चयन हेतु अर्हता:–** (1) आवेदक पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार जाति बहुलता वाले से होंगे। (2) जिस पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) से विकास मित्र का चयन किया जाना है. वहीं के निवासी हों से आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा। (3) आवेदक का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी (4) विकास मित्र के चयन में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता है (1) नन्–मैट्रिक (2) नौवीं पास (3) आठवीं पास (4) सातवीं पास (5) छठा पास (6) पांचवी पास सर्वप्रथम नन्–मैट्रिक उसके पश्चात् नवमी पास उसी प्रकार से नीचे के क्रम से चयन किया जायेगा। महिलाओं के शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पर भी उन्हें चयनित किया जाएगा। बशर्ते वे अक्षर योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा उन्हें सामाजिक कार्यों में प्रगतिशील सक्रिय महिला हो। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता आवेदक उपलब्ध रहने पर किसी भी स्थिति में कम शैक्षणिक योग्यता वाले का चयन नहीं किया जायेगा। जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे – वैसी स्थिति में जिस आवेदक की उम्र सबसे कम हो जन्म तिथि के अनुसार चयन किया जायेगा। अगर दो या दो से अधिक आवेदकों की जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो वैसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी स्वविवेक से आवेदक का चयन करेगें। विकास मित्र का चयन मार्गदर्शिका (पंचम चरण के आधार पर किया जाएगा। (5) चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। (6) मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। (7) मैट्रिक या समकक्ष में समान प्रतिशत रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. **आयु सीमा :–** आवेदक की उम्र दिनांक 17.01.2023 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष तक होनी चाहिए। आरक्षित महिला पदो के लिए मैट्रिक अथवा समकक्ष उपलब्ध नहीं रहने पर साक्षर तक एक से अधिक अभ्यर्थी की स्थिति में कम उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. **जाति बहुलता: –**वर्ष 2010 के सर्वेक्षण के आधार पर पंचायत/वार्ड समूह (शहरी) क्षेत्र में महादलित वर्ग में सम्मिलित जातियों में से किसी एक जाति की बहुलता का निर्धारण किया जा चुका है। जाति बहुलता का निर्धारण उस जाति से की गई जिस जाति की जनसंख्या पंचायत / वार्ड समूह (शहरी) में **सबसे अधिक है। किसी भी परिस्थिति** में विकास मित्र का चयन उसी रिति वाले पंचायत से ही किया जाएगा।
4. **नियोजन की अवधि :–** विकास मित्रों का नियोजन 60 वर्ष कार्य किए जाने हेतु अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। आवश्यकतानुसार पुनः नियोजन किया जा सकता है।
5. **मानदेय:–** प्रत्येक विकास मित्र को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय भुगतेय होगा।
6. **सामान्य निर्देश:–** कार्य योजना के अनुसार सभी तथ्यों यथा विकास मित्रों के पदों की जिला द्वारा अनुमोदन इत्यादि की सूचना मिशन को समय–समय पर प्रेषित किया जाएगा।

आवेदन पत्र जमा करने का स्थान:– संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्यालय/शहरी क्षेत्र के लिए कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम बिहारशरीफ का कार्यालय

रिक्ति की स्थिति निम्नवत् है:–

क्र0	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पंचायत/वार्ड का नाम	जाति की बहुल्ता	अभ्युक्ति
1	बिहारशरीफ ग्रामीण	मघड़ा	अनारक्षित पासी	
2	नगर निगम, बिहारशरीफ	वार्ड सं0– 24+27+30	महिला पासी	
3	हरनौत	पाकड़	मुसहर (समान्य)	

- अधिक जानकारी के लिए अनुमण्डल कार्यालय बिहारशरीफ/जिला कल्याण पदाधिकारी, नालन्दा एवं बिहार महादलित विकास मिशन, पटना से संपर्क किया जा सकता है।
- बिहार महादलित विकास मिशन के हेल्प लाईन, पटना का संपर्क नं0– 18003456345 से सम्पर्क किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र का प्रपत्र (www.mahadilitmission.org) पर उपलब्ध है।
- रिक्ति से संबंधित जानकारी के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारशरीफ एवं हरनौत/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, बिहाशरीफ के कार्यालय में संपर्क करें।
- अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्रों का चयन किया जायेगा।

अनुमण्डल पदाधिकारी
बिहार शरीफ (नालन्दा)

136

बिहार महादलित विकास मिशन

विकास मित्र नियोजन हेतु आवेदन पत्र

क्रम संख्या –

कार्यालय द्वारा भरा जायेगा।
निर्धारित जाति बहुलता ....
आरक्षण की श्रेणी – महिला

आवेदक द्वारा भरा जायेगा।
जिस पंचायत/वार्ड समूह (शहरी) के लिए आवेदन दिया जा रहा है।
पंचायत/वार्ड समूह (शहरी) ....
प्रखण्ड/नगर निकाय ....

पासपोर्ट आकार का अभिप्रमाणित फोटो चिपकाएँ

1. आवेदक/आवेदिका का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. माता का नाम ....
4. जाति ....
5. (क) जन्म तिथि — दिन ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐
   (ख) उम्र (दिनांक 01.01.2021 को) — दिन ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐
6. स्थायी पता :–
   (क) टोला/गाँव/मुहल्ला .... (ख) पंचायत/वार्ड (शहरी) ....
   (ग) प्रखण्ड/नगर निकाय .... (घ) अनुमंडल ....
   (ङ) जिला .... (च) राज्य .... (छ) पिन कोड ....
   (ज) फोन/मोबाईल नं0 – ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
7. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र0	मैट्रिक/समकक्ष/8वीं/5वीं परीक्षा	उत्तीर्णता का वर्ष	संस्था/वोर्ड का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
1							
2							
3							

घोषणा :– मेरी जानकारी और विश्वास में मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनाएँ साथ है एवं इसके असत्य पाये जाने पर मेरा चयन रद्द कर मेरे विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान – ....
दिनांक – आवेदक का पूरा नाम हस्ताक्षर

नोट :– आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें (राजपत्रित पदाधिकारी/सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक/उच्च विद्यालय के शिक्षक द्वारा) छायाप्रति संलग्न करे :-- 1. मैट्रिक/समकक्ष परीक्षा का अंक एवं प्रमाण पत्र/8वीं पास का विद्यालय परित्याग पत्र 2. जाति प्रमाण पत्र 3. आवासीय प्रमाण पत्र

विकास मित्र नियोजन के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

क्रम संख्या –

श्री/सुश्री/श्रीमती .... पिता/पति श्री ....
(क) टोला/गाँव/मुहल्ला .... (ख) पंचायत/वार्ड (शहरी) ....
(ग) प्रखण्ड/नगर निकाय .... (घ) जिला .... का आवेदन पत्र विकास मित्र के नियोजन हेतु दिनांक .... को प्राप्त किया। इन्होने पंचायत/वार्ड (शहरी) .... प्रखण्ड/नगर निकाय .... जिला .... के लिए आवेदन दिया है। जिसका क्रमांक .... है।

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर एवं मुहर